बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

संख्या—1/पुस्तक—1001/2026—सा.प्र.—**6732**/पटना—15, दिनांक **15.04.2026**

बिहार राज्य में सेवारत पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों के संदर्भ में रचित पुस्तक आदि के प्रकाशन एवं तत्संबंधी स्वत्व शुल्क (रॉयल्टी) हेतु प्रायः आवेदन समर्पित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में अनुमति प्रदान किए जाने के पूर्व प्रकाश्य पुस्तक में समावेशित विषय,कथन और विचार आदि की गहन समीक्षा अपेक्षित होती है।

2. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार द्वारा प्रासंगिक प्रस्तावों पर विचार हेतु एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव, पुस्तक के प्रकाशन और स्वत्व शुल्क (रॉयल्टी) की अनुमति से संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:—

(i) मुख्य सचिव, बिहार —अध्यक्ष।

(ii) विकास आयुक्त, बिहार —सदस्य।

(iii) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग —सदस्य—सचिव।

(iv) पुस्तक के विषय—वस्तु से संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव —आमंत्रित सदस्य।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15/4/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—1/पुस्तक—1001/2026—सा.प्र.—**6732**/पटना—15, दिनांक **15.04.2026**

प्रतिलिपिः— 1. उप सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/2026

सरकार के अवर सचिव।

2388\C:\Users\HP USER\Desktop\KK2024\Hindi Letter